कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

क्रमांकः– 568 **दिनांकः** 22-5-2026

मैं, हेमन्त जानू, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2)) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीकर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में कार्य का समानीकरण किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, सीकर के अनुमोदन आदेश क्रमांकः स्था./2026/2800 दिनांक 21.05.2026 की प्राप्ति पश्चात् उक्त आदेश की अनुपालना में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5/पी.आई./2017/18.03.2017 के अनुसरण में इस कार्यालय से पूर्व में जारी फौजदारी वितरण कार्यालय आदेश क्रमांक 278 दिनांक 05.03.2025 व संशोधित आंशिक आदेश क्रमांक 297 दिनांक 06.03.2025 द्वारा शासित हैं, में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से परिनिश्चित करता हूँः–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पूर्व क्षेत्राधिकार	नवीन क्षेत्राधिकार
1.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाटुश्याम	नव सृजित न्यायालय	1. पुलिसथाना खाटूश्यामजी कोतवाली। 2. पुलिस थाना – खाटूश्यामजी सदर। विवरण: इन थानों के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से पृथक हों।
2.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	पुलिस थाना दांतारामगढ एवं पुलिस थाना खाटुश्यामजी, खाटुश्यामजी सदर तथा पुलिस थाना जीणमाता के क्षेत्राधिकार थाना दांतारामगढ के राजस्व गांव बानुडा, खातीवास, मोहनपुरा, जीवणपुरा, उदयपुरा, रामपुरा, दुधवा, नयाबास, रूपगढ, ठेहट, भवानीपुरा, काटिया, गोडियावास, सुलियावास, मुण्डियावास, तुली का चारण, मोतीपुरा, बल्लुपुरा, तथा पुलिसथाना जीणमाता के राजस्व ग्राम बासडी कलां, बासडी खुर्द, लक्ष्मणपुरा, रेटा, धीरजपुरा, गनोडा, दांतला, खोरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)	1. पुलिस थाना दांतारामगढ़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से पृथक हों। 2. पुलिस थाना जीणमाता के क्षेत्राधिकार थाना दांतारामगढ़ के राजस्व ग्राम – बानूड़ा, खातीवास, मोहनपुरा, जीवनपुरा, उदयपुरा, रामपुरा, दूधवा, नयाबास, रूपगढ़, ठेहट, भवानीपुरा, काटिया, गोदियावास, सुलियावास, मुण्डियावास, तुली का चारण, मोतीपुरा एवं बलूपुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से पृथक हों। 3. पुलिस थाना जीणमाता के राजस्व ग्राम–बासड़ी कला, बासड़ी खुर्द, लक्ष्मणपुरा, रैटा, धीरजपुरा, गनोड़ा, दांतला एवं खोरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से पृथक हों।

टिप्पणीः–

1– **नवसृजित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से यह आदेश प्रभावी रहेगा।**

2– इस आदेश के प्रभावशील होने से पूर्व में संस्थित/लम्बित आपराधिक मूल/विविध प्रकरण, अंतिम प्रतिवेदन, सम्बन्धित प्रार्थना पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां पूर्व आदेशानुसार शासित होंगी।

Hemant

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

3- इस आदेश के प्रभावी होने से पूर्व दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों/प्रस्तुत परिवाद से सम्बन्धित अन्तिम परिणाम (आरोप पत्र अन्तिम प्रतिवेदन/जाँच रिपोर्ट इत्यादि) उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट/ परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

4- इस आदेश में अपराध की स्थानियता के आधार पर क्षेत्राधिकार निर्धारण करने का मूल सिद्धान्त लागू किया गया है। अतः यह आदेश प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवादों पर समान रूप से लागू होगा। इस आदेश में विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित न किए गए अधिनियमों के अन्तर्गत कारित अपराधों की जाँच/विचारण, जब तक अन्यथा/प्रावधान न हो तो, स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की जाएगी।

5- इस आदेश के किसी भी प्रावधान सम्बन्धी कोई संशय होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांकः- 569-588 **दिनांकः** 22-5-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
3. जिला कलेक्टर , सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक, (समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
5. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर
6. श्रीमान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर
7. विशिष्ठ न्यायाधीश लैगिक अपरोधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम सं.1/ क्रम सं. 2 सीकर
8. श्रीमान न्यायाधीश, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर
9. विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) सीकर
10. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2/ क्रम सं. 3/ क्रम सं. 4, सीकर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, नीमकाथाना, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दांतारामगढ।
11. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाटुश्याम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, सीकर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, नीमकाथाना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, श्रीमाधोपुर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, अतिरिक्त मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1, क्रम सं. 2, क्रम सं. 3, सीकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद , विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई. प्रकरण), सीकर,
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुड़ली सीकर।
14. वृत्ताधिकारी, वृत्त शहर सीकर/वृत्त ग्रामीण सीकर/वृत्त रींगस/वृत्त फतेहपुर/वृत्त नीमकाथाना।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ/ सीकर/ नीमकाथाना/ श्रीमाधोपुर/ फतेहपुर/ लक्ष्मणगढ़/ दांतारामगढ़/ रींगस/ खण्डेला /खाटुश्याम/धोद
16. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर।
17. सिस्टम आफीसर को अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
18. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)